


मुन्तकिली प्रकरण सं० 35/2015 अनवानी 1. पुनित कुमार पुत्र रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी 4-च-14 जवाहरनगर जयपुर 2-देवेन्द्र गोदारा पुत्र रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी जय जवान कोलोनी टोंक रोड अमरपुर बनाम 1-नविता पुत्री अमरचंद पत्नि परवेज बाबर निवासी घड़साना हाथ एस एच 07 रिद्धि सिद्धि कोलोनी हनुमानगढ रोड श्रीगंगानगर 2-भागवती पत्नि रामकुमार 3- सरिता पुत्री रामकुमार 4-सरपंच ग्राम पंचायत 2 जीएमबी 5-एसडीओ घड़साना



10.05.2016

प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री गुरचरण सिंह उपस्थित है। अप्रार्थी सं० 1 नविता के अभिभाषक श्री जीतपाल सिंह सैनी उपस्थित है। उन्हे सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थीया नविता के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना में लंबित अपील संख्या 10/2014 अनवानी नविता बनाम सरपंच ग्राम पंचायत आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली मुकदमा प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 54 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, घड़साना का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा० पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थीगण के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नहीं है।

मैंने दोनो पक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना में लंबित अपील संख्या 10/2014 अनवानी नविता बनाम सरपंच ग्राम पंचायत आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली मुकदमा प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 54 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, घड़साना का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये हैं। इसलिए यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नहीं है। अतः मुन्तकिली प्रा० पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

9/11
13-5-16

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 10.05.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर